राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

एकलव्य भवन

डॉ एस.राधाकृष्णन्, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग जयपुर

फोनः–5150943, 2705067 फैक्सः– 0141–2705067 Website:http://www.rsos.rajasthan.gov.in

RSOS परीक्षा मार्च–अप्रेल 2017 की उत्तरपुस्तिकाओं की संवीक्षा/पुनर्गणना एवं उत्तरपुस्तिकाओं की फोटो प्रति प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थियों के सूचनार्थ

क्रमांक प.12(8) मूल्यांकन/निष्पादक मण्डल निर्णय/2014/ **दिनांक :30.05.2017**

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा मार्च–अप्रेल 2017 में प्रविष्ठ हुए सभी परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद उत्तरपुस्तिकाओं की संवीक्षा/पुनर्गणना करवाने एवं सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उत्तरपुस्तिका की फोटो प्रति प्राप्त करने के लिए परिणाम घोषित होने के बाद दिवस से 15वें दिन तक निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न कर सीधे इस कार्यालय को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 12वीं जिसका परिणाम दिनांक 30.05.2017 को घोषित हो चुका है, हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 14.06.2017 निर्धारित है तथा भविष्य में भी परिणाम घोषणा के अगले दिवस से उक्त निर्धारित समयावधि में आवेदन किया जा सकता है। संदर्भ केन्द्र को आवेदन व शुल्क प्रस्तुत नहीं करेंगे। अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन निरस्त कर दिए जावेंगे और प्राप्त शुल्क RSOS कोष में जमा कर लिया जावेगा, आवेदक को लौटाया नहीं जायेगा। पुनर्गणना हेतु प्रति विषय 200 रूपये तथा उत्तरपुस्तिका की फोटो प्रति प्राप्त करने हेतु प्रति उत्तरपुस्तिका 500 रूपये शुल्क निर्धारित है। शुल्क निदेशक राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के नाम से बनाये गए बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि जयपुर में ही भुगतान योग्य हो के रूप में ही स्वीकार किया जायेगा। अन्य किसी विधि से प्रदत्त शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। पुनर्गणना के अन्तर्गत उत्तरपुस्तिका में प्रदत्त अंकों के योग में भिन्नता, अन्दर बाहर केजिंग में भिन्नता, योग त्रुटि, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए गये हो, उत्तरपुस्तिका/अंकतालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता आदि–आदि त्रुटियों का निवारण किया जाता है। उत्तरपुस्तिका की पुनः जाँच/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। उत्तरपुस्तिका की फोटो प्रति हेतु आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों को उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना करवाने के उपरान्त उत्तरपुस्तिका की फोटो प्रति प्रेषित की जावेगी। पुनर्गणना का परिणाम RSOS की वैबसाईट पर प्रसारित किया जावेगा।

सचिव